कार्यालय महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा

प्रेस नोट

दिनांक 19 फरवरी, 2015 से 21 फरवरी, 2015 तक महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा द्वारा सर्व शिक्षा अभियान सभागार में सभी जनपदों के सर्व शिक्षा अभियान एवम राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के जिला परियोजना अधिकारियों द्वारा तैयार किये गए वार्षिक कार्य योजना की समीक्षा की गई जिसके अन्तर्गत वार्षिक कार्ययोजना में निम्नवत् बिन्दुओं को समाहित करने हेतु निर्देशित किया गया : –

- छात्रों की ड्रॉप आउट दर को कम करने के लिए मिनी आंगनवाडी केन्द्र खोलने का प्रस्ताव वार्षिक कार्य योजना में रखा जाये।
- अवस्थापना, मानव शक्ति तथा कौशल के अन्तर्गत कमियों को कम करने के लिए Component Specific प्रस्ताव वार्षिक कार्ययोजना में सम्मिलित किये जाए तथा विभिन्न विभागों से सहयोग प्राप्त करते हुए अवस्थापना के अन्तर्गत कमियों का निराकरण किया जाए।
- डॉयट/एस.सी.ई.आर.टी. द्वारा शिक्षकों के प्रशिक्षण की आवश्यकता का विश्लेषण करते हुए शिक्षकों का प्रशिक्षण शैक्षिक सत्र के प्रथम त्रैमास में पूर्ण कराने की कार्य योजना तैयार की जाए।
- कक्षा एक से आठ तक Learning Level Assessment (LLA) करने हेतु वार्षिक कार्य योजना में प्रस्ताव तैयार किया जाए जिसके अन्तर्गत छात्र–छात्राओं एवं शिक्षकों का मूल्यांकन किये जाने का प्राविधान किया जाएगा।
- शिक्षा अधिकारियों को विद्यालयों की शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार हेतु नियमित मासिक एवं आकस्मिक निरीक्षण, अनुश्रवण एवं अनुसमर्थन हेतु वार्षिक कार्ययोजना में बजट प्राविधान हेतु प्रस्ताव में सम्मिलित करें।
- शिक्षक शिक्षा के अन्तर्गत शिक्षकों को गुणवत्तायुक्त प्रशिक्षण देने के लिए डॉयट स्तर पर अवस्थापना विकास तथा कम्प्यूटर प्रयोगशाला का अद्यतनीकरण एवं उच्चीकरण हेतु कार्ययोजना में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

उक्त के अतिरिक्त महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा द्वारा जनपद के अधिकारियों को निम्नवत निर्देशित किया गया :–

1. अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय आख्या में गौरा देवी कन्याधन योजना एवं अन्य छात्रवृत्तियों में लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या, परीषदीय परीक्षाफल, किये गये मासिक एवं आकस्मिक निरीक्षणों की संख्या एवम् दिये गए सुझावों तथा अधीनस्थ कर्मचारियों को सेवानिवृत्तिक लाभों को समयान्तर्गत उपलब्ध कराने तथा बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम व अन्य छात्रों के कल्याणकारी योजनाओं में भागीदारी को आधार बनाया जाएगा। शिक्षा अधिकारियों को विद्यालय स्तर पर अवस्थापना, मानव शक्ति एवं प्रशिक्षण की आवश्यकता सम्बन्धी विवरण चार्ट रूप में उपलब्ध रखने को निर्देशित किया गया। उपरोक्त गतिविधियों के आधार पर ही गोपनीय आख्या के लिये अधिकारियों का मूल्यांकन किया जाएगा।
2. शिक्षकों को समय–समय पर दिये जाने वाले प्रशिक्षणों को पूर्ण करने पर ही उन्हें पदोन्नति तथा अन्य वित्तीय लाभ अनुमन्य किये जाएंगे।
3. बी.आर.पी./सी.आर.पी., जिला समन्वयकों, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में वार्डन की नियुक्ति में आ रही कठिनाईयों के दृष्टिगत नीति में संशोधन करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिये निर्देशित किया गया।
4. चयनित विद्यालयों में व्यवसायिक शिक्षा पाठयक्रम की संस्तुति करने से पूर्व सर्वे करते हुए ट्रेड की स्थानीय आवश्यकता एवं मांग के अनुरूप कार्ययोजना में प्रस्तावित करने के निर्देश दिये गये।